न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1999–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–6–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त 3 हर्राखेडा तहसील बैरसिया जिला भोपाल प्रकरण कमांक 6/अ–70/2012–13.

---

1 महेश कुमार पुत्र रामकिशन आयु वयस्क
2 मांगीलाल पुत्र बंशीलाल आयु वयस्क
सर्व जाति धाकड निवासी ग्राम हिनोती सडक
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 फलकनाज पुत्री सैयद नसीम परवेज आयु वयस्क
2 श्रीमती गजाला बेगम पत्नी सैयद नसीम परवजे आयु वयस्क
सर्व निवासी कोहेफिजा भोपाल जिला भोपाल म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री प्रवीण सोनी अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम0 के0 सक्सैना, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 23 दिसम्बर, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत्त 3 हर्राखेडा तहसील

बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार सर्किल 3 हर्राखेडा तहसील बैरसिया जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा अपनी भूमियों का सीमाकंन कराया गया है, जिसमें सर्वे नंबर 755/1 में से रकबा 0.020 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक 1 महेश कुमार का एवं सर्वे कमांक 756/2 के रकबा 0.060 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक–2 मांगीलाल का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों का उन्हैं कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–70/12–13 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विकय शोभा नामदेव, उमेश नामदेव एवं श्रीमती पुष्पा रावत को विकय किया जा चुका है, इस कारण उक्त भूमि में अनावेदकगण का कोई हित निहीत नहीं है, इसलिये उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–6–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि नामांतरण उपरान्त श्रीमती पुष्पा रावत, तोफान सिंह, विजेन्द्र सिंह, शोभा नामदेव एवं उमेश नामदेव के नाम भूमिस्वामी दर्ज है, उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवेदकगण के स्थान पर केताओं को आवेदक घोषित किया जाकर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 एवं नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने में भूल की गई है, क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु कोई तिथि नियत नहीं कर सीधे निरस्त किया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में खसरे का रकबा एवं कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, अतः

उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियां विक्रय किये जाने से उसमें उनके हित निहीत नहीं रह गये थे, इसलिये तहसीलदार को अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करना चाहिये था, जो नहीं करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार के समक्ष केताओं द्वारा पक्षकार बनाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसके बावजूद भी उन्हें पक्षकार बनाने में नायब तहसीलदार द्वारा अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता का आदेश 7 नियम 11 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है, क्योंकि उक्त प्रावधान वाद पर लागू होते है, संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में संहिता के प्रावधान ही लागू होंगे । यह भी कहा गया कि चूँकि प्रश्नाधीन भूमि को केता श्रीमती पुष्पा रावत, तोफान सिंह विजेन्द्र सिंह, शोभा नामदेव एवं उमेश नामदेव द्वारा क्रय की जाकर उनका नामांतरण भी हो गया है, अतः तहसीलदार द्वारा उन्हें पक्षकार बनाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि केताओं का नामांतरण नहीं हुआ है, इसलिये यह निगरानी प्री–मेच्योर है । तर्क के समर्थन में 1989 राजस्व निर्णय 365 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों का सीमाकंन अनावेदकगण द्वारा दिनांक 28–5–2013 को कराया गया है एवं दिनांक 8–7–2013 को अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय कर दिया गया है, और नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 23–10–2013 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि इस दिनांक को प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय कर दिये जाने से उस पर अनावेदकगण का कोई स्वत्व नहीं रह गया था, ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था, इसलिये नायब तहसीलदार को इसी आधार पर आवेदन पत्र निरस्त कर देना चाहिये था । इसी संबंध में आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के

आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि चूँकि अनावेदकगण द्वारा उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियों का विक्रय कर दिया गया है, इसलिये अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि नामांतरण उपरान्त प्रश्नाधीन भूमियां केता श्रीमती पुष्पा रावत, तोफान सिंह, विजेन्द्र सिंह, शोभा नामदेव एवं उमेश नामदेव के नाम भूमिस्वामी दर्ज है, उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में अनावेदकगण के स्थान पर केताओं को आवेदक के रूप में पक्षकार बना कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जो कि विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं है । कारण अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय 5 व्यक्तियों को किया गया है, ऐसी स्थिति में वैधानिक दृष्टि से उचित यह है कि केतागण अपनी अपनी भूमियों का सीमाकंन कराये, तत्पश्चात यदि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया जाता है तब संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही की जाये । इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार नहीं है तब व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही पक्षकार बनाया जाना विधिसंगत कार्यवाही है । अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि व्यवहार प्रकिया संहिता का आदेश 7 नियम 11 वाद में लागू होता है, संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में उक्त प्रावधान लागू नहीं होता है, क्योंकि संहिता की धारा 43 स्पष्ट प्रावधान है कि जहां संहिता में स्पष्ट उपबंध न हो वहां व्यवहार प्रकिया संहिता लागू होगी । इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार वृत्त 3 हर्राखेडा तहसील बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–6–2014 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर